सरयू राय

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक आ.का./251/18
दिनांक 25-12-2018

माननीय मुख्य (विधि एवं न्याय) मंत्री
झारखंड सरकार.

विषय : महाधिवक्ता को पदमुक्त करने के संबंध में.

महाशय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी ने आपको तीन बार लिखित रूप में और दो बार मौखिक रूप में सूचित किया है कि झारखंड सरकार के महाधिवक्ता का आचरण इस संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है. कतिपय महत्वपूर्ण मामलों (मुकदमा संख्या L.P.A. No. 351/2018 और मुकदमा संख्या WPCCJ No. 2027 of 2016) में खान विभाग से विमर्श किये बिना उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से वैधानिक तथ्य छुपाया है तथा मुकदमा संख्या L.P.A. No. 236/2012 में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को गलत सूचना दिया है. उनका यह आचरण संबंधित विभागों की प्रासंगिक संचिकाओं में दर्ज हैं.

इसके अतिरिक्त एक मंत्री के नाते आपके समक्ष मौखिक एवं लिखित रुप में उठाये गये उपर्युक्त मुद्दों के संबंध में महाधिवक्ता ने "झारखंड राज्य बार काउंसिल" की आपात बैठक बुलाकर चर्चा कराया है, बैठक में तथ्य को तोड़-मरोड़ कर रखा है और आधी-अधूरी सूचना देकर बार काउंसिल को भी गुमराह किया है. उल्लेखनीय है कि राज्य का महाधिवक्ता होने के कारण ही महाधिवक्ता राज्य बार काउंसिल के पदेन सदस्य हैं और इस नाते वे काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं. महाधिवक्ता नहीं रहने पर सम्प्रति ये बार काउंसिल के अध्यक्ष भी नहीं रह सकेंगे. महाधिवक्ता पद पर इन्हें राज्य की मंत्रिपरिषद ने मनोनीत किया है. जिस संवैधानिक संस्था ने इन्हें एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद का दायित्व सौंपा है उसी के एक सदस्य के विरुद्ध इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुये सरकार के बाहर की एक संस्था, राज्य बार काउंसिल, में मंत्री के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उठाये गये विषय में चर्चा का श्रीगणेश किया है जिसके फलस्वरूप काउंसिल ने अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध असंयमित एवं अपमानजनक भाषा में निन्दा का प्रस्ताव पारित किया है, अधोहस्ताक्षरी को नोटिस भेजने तथा क्षमायाचना नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने का एकतरफा निर्णय लिया है. राज्य बार काउंसिल का यह प्रस्ताव आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न है.

अधोहस्ताक्षरी ने इस बारे में राज्य बार काउंसिल को अपना मंतव्य अलग से भेज रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता के आचरण के संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने जो विषय माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है उसके गुण-दोष पर विचार किये बिना और उसपर अधोहस्ताक्षरी का पक्ष सुने बिना बार काउंसिल द्वारा लिया गया एकतरफा निर्णय और पारित किया गया प्रस्ताव नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है. प्रासंगिक प्रस्ताव में कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में अधिवक्ताओं के दायित्व से अधोहस्ताक्षरी अनभिज्ञ हैं. मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि अधोहस्ताक्षरी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में और

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2401023, फैक्स : 0651-2482455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

पटना उच्च न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर एक से अधिक बार अपनी जनहित याचिकाओं पर अपना पक्ष रखा है. ये जनहित याचिकायें माननीय उच्च न्यायालयों में स्वीकृत हुई हैं, इनमें याचिकाकर्ता के नाते अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में निर्णय हुये हैं और कतिपय याचिकाओं पर अभी सुनवाई चल रही है. न्यायिक प्रक्रिया के बारे में अधोहस्ताक्षरी के समादर और समझ के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा की गई टिप्पणी से भी झारखंड राज्य बार काउंसिल को अवगत कराया जा रहा है जो निम्नवत है :–

"Before we part with the records, we must record our deep appreciation of the manner in which Mr. Saryu Roy, petitioner no. 1, conducted the proceedings before us, the ability with which he assisted us, and maintained his patience ever since the case was lodged in this Court.

(S K Katriar, J.)/
(Ahsanuddin Amanullah, J.)/
Patna High Court, Patna./
The 21st of September 2011,/
/AFR/mrl.

महाशय, माननीय उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के समक्ष राज्यहित के संबंध में सही तथ्य नहीं रखने के बाद राज्य के महाधिवक्ता ने राज्य बार काउंसिल सदृश प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण संस्था को भी गुमराह किया है और राज्य मंत्रिपरिषद के एक सदस्य के विरूद्ध वहां चर्चा आरंभ कर एवं निंदा का प्रस्ताव पारित कराकर अपने पक्ष में दबाव सृजित कराने का प्रयास किया है जो महाधिवक्ता पद की गरिमा के सर्वथा प्रतिकुल है.

आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि दिनांक 24.10.2018 को आपको प्रेषित पत्र में अधोहस्ताक्षरी ने अनुरोध किया है कि जिस विषय को वे उठा रहे हैं उसके बारे में अधोहस्ताक्षरी के, राज्य के महाधिवक्ता के और राज्य सरकार के खान विभाग के पूर्व एवं वर्तमान सचिव के निर्णयों/निर्देशों की जाँच के लिये विषय वस्तु को झारखंड उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया जाय ताकि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय.

मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि उपर्युक्त के आलोक में राज्य के महाधिवक्ता को शीघ्रातिशीघ्र पदमुक्त करने की विधिसम्मत कार्रवाई करेंगे.

भवदीय
सरयू राय 25.12.18

Scanned with OKEN Scanner